

प्रोजेक्ट - राष्ट्रीय राजमार्ग- 135ए के चैनेज सं०-34.900 (भदोही) से चैनेज सं०-73.134 (जौनपुर), तक चार लेन के विन्यास के लिए चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का प्रस्ताव।

प्रस्ताव सं० - FP/UP/ROAD/141411/2021

वन अधिकार अधिनियम -2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एनएच डिविजन-1, पीडब्ल्यूडी, वाराणसी द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग-135ए के चैनेज सं०-34.900 (भदोही) से चैनेज सं०-73.134 (जौनपुर), तक चार लेन के विन्यास के लिए चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के निर्माण से प्रभावित 65.612 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन अधिकार अधिनियम -2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र विधिवत स्वीकृति के पहले मुहैया करा दिया जायेगा।

अभिधा ५/१०

प्रमाणित निदेश
सामाजिक वानिकी १२/११
जौनपुर

(प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता)

अधिशाली अभियन्ता
अरुण कुमार सिंह
रा.मा. खण्ड नं०-1 लौ०नि०/१०
अधिशाली अभियन्ता
वाराणसी
एनएच डिविजन-1, पीडब्ल्यूडी, वाराणसी